बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक मार्च, 2017

ज्ञाप संख्या–1 / एम02–60–09 / 2016 गृ0आ0 / श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2005) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति समादेष्टा, बि0सै0पु0–16, फुलवारीशरीफ, पटना के विरूद्ध अनियमित तरीके से थानाध्यक्षों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन करने, पुलिस सभा का आयोजन छः माह के अंतराल में मात्र एक बार करने, सामूहिक कल्याण हेतु पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलने से इंकार करने, जाति विशेष के पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष बनाने तथा पुलिस हस्तक नियम के तहत पुलिस अवर निरीक्षकों को कार्यपालक दंडाधिकारी की सुविधा नहीं देने आदि के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं0 7080 दिनांक 05.09.2016 निर्गत किया गया।

2. और चूँकि विभागीय ज्ञाप संख्या–7080, दिनांक 05.09.2016 द्वारा श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 को कहा गया कि वे अपने बचाव हेतु लिखित बयान प्रस्तुत करें एवं यह भी बतायें कि इस कार्यवाही में अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करना चाहते है अथवा नही।

3. और चूँकि श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2005) ने अपने पत्रांक–172 / गो0, दिनांक 29.09.2016 एवं पत्रांक–195 / गो0, दिनांक 12.12.2016 द्वारा अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसे पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 9294 / एक्स0पी0 दिनांक 28.12.2016 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. और चूँकि श्री कुमार द्वारा लिखित बचाव–बयान समर्पित किये जाने एवं विभाग द्वारा समीक्षा किये जाने के उपरांत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतगर्त श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है।

5. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8(2) के अधीन संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुशंसित पुलिस मुख्यालय या अपराध अनुसंधान विभाग में पदास्थापित पुलिस अधीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संकल्प की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर स्वयं किसी भी समय जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित हों।

6. **संकल्प में अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना / श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2005) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति समादेष्टा, बि0सै0पु0–16, फुलवारीशरीफ, पटना को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नकः–

1. श्री कुमार, भा0पु0से0(2005) के विरूद्ध निर्गत ज्ञापन, आर्टिकल ऑफ चार्जेज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसविहेवियर एण्ड मिसकंडक्ट एवं साक्ष्य सूची।

2. पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 3584/एक्स0पी0 दिनांक 16.05.2016, पत्रांक 8561/एक्स0पी0 दिनांक 30.11.2016 एवं श्री कुमार के पत्रांक–172/गो0, दिनांक 29.09.2016 एवं पत्रांक–195/गो0, दिनांक 12.12.2016

ज्ञापांक–1/एम02–60–09/2016 /पटना, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपि :– संकल्प में विनिर्दिष्ट लेख्यों की प्रतियों के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कार्यवाही तुरंत प्रारंभ किया जाय एवं अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 8(25)(क) के आलोक में जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में छः माह के अंदर समर्पित करने की कृपा की जाय ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–09/2016 /पटना, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि पुलिस मुख्यालय या अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनीत करने की कृपा की जाय।

3. अनुरोध है कि अपने स्तर से इसकी प्रति श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2005) समादेष्टा, बि0सै0पु0–16, फुलवारीशरिफ, पटना को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–09/2016 /पटना, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपि :– श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2005) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति समादेष्टा, बि0सै0पु0–16, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–1/एम02–60–09/2016 2298 **/पटना, दिनांक** 17 **मार्च, 2017**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव